संपादकीय समूह

- श्री दिनेश कुमार नायक (सदस्य सचिव)
- श्रीमती पूनम तिवारी (जि0वि0स0 अधिकारी)
- श्री अंशुल पटेल (सहायक ग्रेड – 3)
- श्री जफर इकबाल (सहायक ग्रेड – 3)
- श्री आनंद कुमार तिवारी (उपसचिव)
- श्री अमृतलाल पटेल (सहायक ग्रेड – 3)
- श्री सचिन गोस्वामी (सहायक ग्रेड – 3)
- श्रीमती भारती पासी (सहायक ग्रेड – 3)

PUBLISHED BY

MADHYA PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, JABALPUR

C-2, South Civil Lines, Jabalpur Pin 482001

Ph. No. 0761-2678352, 2624131 Fax: 0761-2678537 Email: mplsajab@nic.in

Website: www.mpslsa.nic.in

National Free Legal Helpline: 15100

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

NEWSLETTER

JANUARY - APRIL 2015

MADHYA PRADESH STATE LEGAL SERVICE AUTHORITY

मध्यस्थता में अधिवक्ता एवं न्यायाधीशों का योगदान

मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा दिनांक 18/04/15 को ''मध्यस्थता में अधिवक्ता एवं न्यायाधीशों का योगदान'' विषय पर विधिक सेमिनार अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के सभागार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायाधिपति श्री अजय माणिकराव खानविलकर, मुख्य न्यायाधिपति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर एवं विशिष्ट अतिथि माननीय न्यायाधिपति श्री अलोक आराधे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर रहे। कार्यक्रम का शुभांरभ करते हुये माननीय न्यायाधिपति श्री अजय माणिकराव खानविलकर मुख्य न्यायाधिपति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर

ने उपस्थित श्रोतागण को सम्बोधित करते हुए कहा कि मध्यस्थता एक ऐसा रास्ता है जिसमें न किसी की जीत होती है न कोई हार और न ही इसकी कोई अपील होती है, पर सभी को न्याय मिलता है। उन्होंने बताया कि जब वे मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत करते थे, तब वे मध्यस्थता समिति के सदस्य तथा बाद में अध्यक्ष बनें। उन्होंने यह पहल की कि लोगों को आपसी समझौते के आधार पर किसी तरह शीघ्र न्याय मिले। मध्यस्थता के माध्यम से मुकद्मेबाजी घटती है और लोगों के बीच सामंजस्य एवं भाईचारा बढ़ता है। विचारण न्यायालय में मध्यस्थता की गुंजाइश अधिक होती है। इसके बाद अपील न्यायालय में गंजुाइश अवश्य होती है, लेकिन वह कम रहती है। विचारण न्यायालय में अधिवक्तागण और न्यायिक अधिकारीगण को बड़ी गंभीरता से प्रकरण का अध्ययन कर यह देखना चाहिए कि कौन से मामले मध्यस्थता के माध्यम से निपटाये जा सकते है। मध्यस्थ को भी काफी समझ के साथ इस मामले में प्रयास करना चाहिए। जिस तरह से लोक अदालतों में आपसी समझदारी के साथ प्रकरणों का निराकरण हो रहा है वह अच्छी पहल है। आवश्यकता इस बात की है कि पक्षकार, अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी इस मामले में गंभीरता से पहल करें, ताकि लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके और लम्बे समय तक इंतजार न करना पड़े।

माननीय न्यायाधिपति श्री अलोक आराधे ने अपने संबोधन के माध्यम से यह व्यक्त किया कि मध्यस्थता के माध्यम से सामाजिक समरसता बढ़ेगी और प्रकरणों का निराकरण शीघ्रता से हो सकेगा। माननीय न्यायाधिपति के द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से किए गए प्रयासों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया गया और यह सुझाव दिया गया कि ऐसी कार्यशालाओं का अयोजन समय समय पर करने की आवश्यकता है और ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि साधारण मामलों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से हो जिससे अदालतों पर भार न पड़े। इस दिशा में अधिवक्ताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य श्री राधेलाल गुप्ता ने विधिक सेमीनार के विषय के संबंध में प्रकाश डाला। कार्यक्रम के आयोजक राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य श्री शिवेन्द्र उपाध्याय द्वारा माननीय अतिथिगण का स्वागत किया गया और बताया गया कि विन्ध्य में इस तरह का यह पहला बड़ा आयोजन है। कार्यक्रम का संचालन राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य श्री मृगेन्द्र सिंह एवं रश्मि रितु जैन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य, जिला न्यायाधीश श्री आर.के.श्रीवास्तव सहित अन्य न्यायाधीशगण, कलेक्टर, अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण, कुलपति श्री रहस्यमणि मिश्रा एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभांरभ करते हुये माननीय न्यायाधिपति श्री अजय माणिकराव खानविलकर
मुख्य न्यायाधिपति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर

HON'BLE SHRI JUSTICE RAJENDRA MENON

Executive Chairman
M.P. State Legal Services Authority, Jabalpur

Born on 7th June 1957, Had Preliminary Education in St. Norbert's Convent, Jabalpur and passed out Higher Secondary School Certificate Examination from Christ Church Boys Senior Secondary School, Jabalpur in the year 1974. Graduated in Science from Government Science College, Jabalpur and obtained Degree in Law from NES Law College, Jabalpur.

Enrollment as an Advocate in August 1981. In the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur and various other Courts he practiced in Civil and Constitutional sides. During practice was Standing Counsel for various Public Sector undertakings, various Insurance Companies and Educational Institutes and so also, was Standing Counsel for Union of India and various other Organizations.

He is appointed as Additional Judge of the High Court of Madhya Pradesh on April 1, 2002 and Permanent Judge on March 21, 2003. Was posted in the Gwalior Bench of the High Court till 29th February 2008, and was transferred to the Main Seat of the High Court at Jabalpur with effect from 1st of March 2008.

Took charge as Executive Chairman, M.P. High Court Legal Services Committee on 6th of March, 2014. From 19th March, 2015 as Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh and Executive Chairman of M.P. Legal Services Authority, Jabalpur on 25th of March, 2015.

वैकल्पिक विवाद समाधान तकनीक

प्रत्येक समाज में विवाद सदैव उत्पन्न होते रहते है। कोई समाज कितना विकसित है उसके विवाद समाधान करने की रीति से जाना जा सकता है। भारतीय समाज में भी आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर विवाद का निपटारा किया जाता था। घर के बड़े बुर्जुग या गांव के पंच मध्यस्थ की भूमिका निभाकर विवादों का निपटारा कराते रहे है। वर्तमान कानून व्यवस्था की दुरुह लंबी और खर्चीली प्रक्रिया ने वैकल्पिक विवाद समाधान की तकनीकों को और अधिक आवश्यक बना दिया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 में वैकल्पिक विवाद समाधान की तकनीकों लोक अदालत, सलाह, मध्यस्थम एवं मध्यस्थता के उपबंधित किया गया है। वैकल्पिक विवाद समाधान की तकनीकों से न्यायालय में बढ़ते मुकदमों का बोझ कम होता है। पक्षकार के भी अमूल्य समय एवं धन की बचत होती है। पक्षकार अनावश्यक परेशानियों से बचता है और पारस्परिक सहमति एवं समझौते से मामले का निपटारा होने के कारण पक्षकारों के मध्य कटुता उत्पन्न नहीं हो पाती है। इनके उपयोग से विवादों का निपटारा सरलता से किया जा सकता है यह संदेश आमजन को दिया जाना आवश्यक है।

इसके प्रशिक्षित मध्यस्थों एवं मध्यस्थता केन्द्रों की स्थापना भी आवश्यक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायाधीशों, वकीलों, समाजसेवियों को मध्यस्थता तकनीक से प्रशिक्षित किये जाने का कार्य सतत रूप से किया जा रहा है। मध्यस्थता हेतु न्यायालय में पक्षकारों एवं मध्यस्थों के बैठने के लिये स्थान की भी आवश्यकता है। इसी आवश्यकतानुसार 13वां वित्त आयोग की वित्त व्यवस्था से प्रत्येक जिले में एडीआर सेंटर का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

मध्यस्थता में मध्यप्रदेश के ....जिलों में एडीआर सेंटर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष.....जिलों में निर्माण कार्य के शीघ्र ही पूर्ण होने की संभावना है। माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन, प्रशासनिक न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण दिनांक 18/04/15 को जिला न्यायालय नरसिंहपुर में ए. डी.आर. भवन के लोकार्पण हेतु आये थे।

जिला नरसिंहपुर में ए.डी.आर. सेंटर का लोकार्पण करते हुए माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय म.प्र.रा.वि.से.प्रा. एवं विशेष उपस्थिति के साथ माननीय सदस्य सचिव महोदय एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर।

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन जी ए.डी.आर. सेंटर, नरसिंहपुर का लोकार्पण करते हुए एवं उपस्थित माननीय सदस्य सचिव महोदय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला नरसिंहपुर।

नवनिर्मित ए.डी.आर. सेंटर, नरसिंहपुर का निरीक्षण करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन जी एवं उपस्थित माननीय सदस्य सचिव महोदय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला नरसिंहपुर।

।। सिर्फ शांति के बारे में बात करना पर्याप्त नहीं है उसमें यकीन भी करना होगा और सिर्फ यकीन करना पर्याप्त नहीं है उसमें कार्य भी करना होगा।।

– एलोनोर रूजबेल्ट

वृहद विधिक साक्षरता एवं लोक कल्याणकारी शिविर जिला शिवपुरी में उपस्थित
माननीय श्री न्यायमूर्ति यू.सी. माहेश्वरी जी एवं उपस्थित श्रोतागण।

माननीय श्री न्यायमूर्ति यू.सी. माहेश्वरी जी द्वारा नवनिर्मित ए.डी.आर. सेंटर जिला शिवपुरी का लोकार्पण।

माननीय श्री न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी जी द्वारा नवनिर्मित मध्यस्थता केन्द्र जिला बैतूल का लोकार्पण
एवं उपस्थित अतिथि माननीय सदस्य सचिव श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल।

वृहद विधिक साक्षरता शिविर

(आदिवासी क्षेत्र ग्राम चोरबरहटा जनपद पंचायत चीचली, तहसील गाडरवाडा
जिला – नरसिंहपुर दिनांक 18/04/15)

ग्राम चोरबरहटा तह.गाडरवाडा, जिला नरसिंहपुर में आयोजित वृहद विधिक साक्षरता
शिविर में उपस्थित श्रोतागण एवं संबोधित करते हुए माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन जी।

नरसिंहपुर जिले के चीचली ब्लॉक में स्थिति अनुसूचित जनजाति का ग्राम "बड़ागांव" मध्यप्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा, नरसिंहपुर–छिंदवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित है, जिसमें 100 प्रतिशत भारिया अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते है, जिनको आज भी अपने गांव जाने के लिए 13 किलोमीटर पैदल यात्रा करके ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ता है। शिविर में तहसील गाडरवाडा जनपद पंचायत चीचली एवं सांईखेड़ा के संपूर्ण भाग एवं जनपद पंचायत चांवरपाठा के आधे भाग के गांव के लोगों को मध्यप्रदेश राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए राजस्व विभाग के साथ–साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर द्वारा नियुक्त पैरालीगल वालेंटियर द्वारा सर्वे का कार्य किया गया, सर्वे के पश्चात न्याय एवं प्रशासन दोनों ने संयुक्त प्रयास से हितग्राहियों का चयन किया। ऐसे हितग्राहियों को वृहद विधिक साक्षरता शिविर में शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान किये जाने हेतु योजना तैयार की गई। तत्पश्चात वृहद विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, उक्त शिविर में माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन महोदय के अतिरिक्त सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्री दिनेश नायक, उपसचिव श्री आनंद कुमार तिवारी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश आर.के.एस. गौतम, जिला कलेक्टर श्री नरेश पाल, जिला पुलिस अधीक्षक श्री मनीष कपूरिया, जिला पंचायत नरसिंहपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, एन.टी.पी.सी. गाडरवाडा के जनरल मेनेजर श्री रामकुमार एवं अन्य अधिकारी तथा ग्राम पंचायत चोरबरहटा की सरपंच श्रीमती बिराजबाई कौरव उपस्थित थे। माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा शिविर का औपचारिक उद्घाटन करते हुये उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया गया "हमारा उद्देश्य सुदूरवर्ती गरीब आदिवासी व्यक्तियों को न्याय दिलाना है तथा शिविर के आयोजन के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ योग्य हितग्राहियों को दिलाना है। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे आयोजनों के द्वारा जिला प्रशासन की कमियों को बताने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उनका सहयोग करके अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित करने का प्रयास करता है।"

सदस्य सचिव श्री दिनेश नायक एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश आर.के.एस. गौतम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं एवं कार्यक्रमों से अवगत कराया गया। कलेक्टर श्री नरेश पाल द्वारा मध्यप्रदेश राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया।

वृहद विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में जिला प्रशासन के सहयोग से जनपद पंचायत चीचली, सांईखेडा, चांवरपाठा के कुल 3496 हितग्राहियों को लगभग 4,13,83,000/– रूपये की सहायता राशि वितरित की गई।

वृहद विधिक साक्षरता शिविर

(आदिवासी क्षेत्र ग्राम चोरबरहटा जनपद पंचायत चीचली, तहसील गाडरवाडा
जिला – नरसिंहपुर दिनांक 18/04/15)

वृहद विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर जिला नरसिंहपुर में उपस्थित
माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन महोदय, सदस्य सचिव श्री दिनेश कुमार नायक जी, उपसचिव
श्री आनंद कुमार तिवारी जी एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला नरसिंहपुर व अन्य।

मोबाइल लोक अदालत वाहन में जन समस्याओं का
निराकरण करते हुए माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन
महोदय के साथ माननीय कलेक्टर
महोदय जिला नरसिंहपुर।

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन महोदय बच्चों को
प्रमाण पत्र वितरित करते हुए एवं उपस्थित न्यायधीश एवं अधिकारी।

हमारा बचपन माता-पिता के प्यार और सहारे से बीता,
अब वृद्धावस्था में इन्हें हमारे प्यार और सहारे की जरूरत है
आइये हम अपने इस नैतिक कर्तव्य का पालन करें
अब यह हमारा विधिक दायित्व भी है जो
माता-पिता एवं वृद्धजन भरण-पोषण अधिनियम 2007
के द्वारा अधिनियमित किया गया है।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस केन्द्रीय जेल जबलपुर में
''अपनी रसोई योजना'' का शुभारंभ

स्थापना- सन् 1874 - 75

मध्यप्रदेश की नेताजी सुभाषचंद्र बोस केन्द्रीय जेल, जबलपुर का ऐतिहासिक महत्व है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिनांक 22/12/31 से 16/07/32 तक तथा 18/02/33 एवं 22/02/33 तक दो बार इस जेल में बंद रहें। सुभाषचंद्र बोस द्वारा

तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा...

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय म.प्र.रा.वि.से. प्राधिकरण जबलपुर केन्द्रीय जेल, जबलपुर में संचालित
'अपनी रसोई' का शुभारंभ करते हुए साथ में उपस्थित माननीय सदस्य सचिव महोदय श्री दिनेश कुमार नायक जी
जिला पुलिस अधीक्षक श्री हरि नारायणचारी मिश्र जी जेल अधीक्षक श्री अखिलेश तोमर एवं अन्य।

माननीय श्री राजेन्द्र मेनन प्रशासनिक जज/अध्यक्ष म0प्र0रा0वि0से0प्राधिकरण, जबलपुर के कर कमलों से नेजाती सुभाषचंद्र बोस केन्द्रीय जेल जबलपुर में सहकारी संस्था द्वारा संचालित अपनी रसोई योजना का शुभारंभ किया गया।

इस योजनांतर्गत संस्था द्वारा बंदियों को पाककला का प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षित बंदियों द्वारा निर्मित भोजन एवं अन्य व्यंजनों को रेलवे, हास्पिटल, स्कूल तथा कालेजों मे वितरित कराकर बंदियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। बंदियों के आर्थिक एवं सामाजिक पुर्नवास हेतु जेल प्रशासन द्वारा उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में प्रशिक्षित किये जाने का कार्य किया जाता रहा है। इसी अवसर पर विचाराधीन बंदियों एवं उनकी समस्याओं से भी माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया। जिसे उन्होंने अत्यंत संवेदनशीलता से लेते हुये त्वरित कार्यवाही के आदेश दिये।

इंडियन केटरिंग एण्ड टूरिज्म को ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड कटनी द्वारा नेताजी सुभाषचंद्र बोस केन्द्रीय कारागार में अपनी रसोई कार्यक्रम का शुभारंभ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन के द्वारा किया गया। इसी दौरान जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर एवं विधि अधिकारी उदय प्रताप सिंह द्वारा 10 वर्षों से अधिक अवधि के परिरूद्ध दंडित बंदियों, जमानत भरवाने में असमर्थ बंदियों की समस्याओं से माननीय न्यायमूर्ति श्री मेनन जी को अवगत कराया गया। जिस पर सहानुभूति पूर्वक संज्ञान लेते हुए विधि सम्मत तरीके से इनके हितार्थ कार्य करने का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में श्री दिनेश कुमार नायक सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भी उपस्थित रहे।

मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम

मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुये माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.के.पालो म.प्र.उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर। कार्यकम में उपस्थित श्री एच.एन.वाजपेयी जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जि.वि.से. प्राधिकरण दतिया एवं अधिवक्तागण।

जिला अभिभाषक संघ भोपाल द्वारा आयोजित मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम में सहभागिता करते हुये श्रीमती गिरीबाला सिंह ए.डी.जे. एवं उपस्थित प्रतिभागीगण।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा आयोजित मीडिएशन जागरूकता कार्यक्रम के दौरान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री आर.पी.शर्मा, मीडिएशन के सफल प्रकरण में पुरस्कार वितरित करते हुए।

मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जबलपुर में सफल मध्यस्थता के दो विभिन्न दृश्य, प्रथम में पति–पत्नि के मध्य वैवाहिक विवादों का निपटारा कराते हुये मध्यस्थ। द्वितीय में भाई–बहिनों के मध्य विरासत संबंधी विवाद का निपटारा कराते हुये मध्यस्थ।

आमजन तक सुलभ पहुँच

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीराजपुर द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता शिविर।

जागो उपभोक्ता जागो

विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता शिविर।

अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में भाग लेते हुये माननीय श्री ए.के. पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जबलपुर, श्री एस.एन. रूपला कलेक्टर जबलपुर, श्री हरिनारायण चारी मिश्र, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक एवं सहभागीगण।

समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाहित है। जिसे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीतिनिर्देशक तत्वों में वर्णित किया गया है। इस समानता में लिंग समानता भी प्रमुखता से सम्मिलित है। भारतीय संविधान न केवल महिलाओं को पुरूष के समान दर्जा देने की बात करता है बल्कि राज्य पर भी यह दायित्व आधिरोपित करता है कि वह स्त्रियों के विरूद्ध भेदभाव रोकने के लिए सार्थक कदम उठायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी महिलाओं को समानता का दर्जा दिये जाने की मांग को स्वीकार किया गया। भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (CEDAW) Convention on Elimination of all forms of discrimination against women 1993 को स्वीकार किया है। इसमें महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक समानता दिये जाने की बात की गयी है। इसके लिये उनमें गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अलावा शिक्षा, भोजन, पोषण, स्वच्छ जल एवं स्वास्थ्य, आश्रय एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

बदलते समय के साथ आधुनिक भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका और अधिक प्रभावशाली हो गयी है। उन्होंने पुरूषों के वर्चस्व वाले सेवा, पायलट, ड्रायवर तथा पुलिस जैसे क्षेत्रों में भी अपने कदम रख दिये है। इससे वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से और अधिक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर हो गयीं हैं। इतनी प्रभावशाली भूमिका के बावजूद भी उनके विरूद्ध हिंसा और अपराध की घटनायें लगातार बढ़ती जा रहीं हैं। बालिका भ्रूण हत्या की संख्या भी दिनबदिन बढ़ती जा रही है। इन सब घटनाओं से यह स्पष्ट है कि उन्हें आज भी समाज में वो स्थान और दर्जा नहीं मिला है जिनकी वे हकदार है। समाज के लिये आवश्यक है कि वे स्त्रियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें। इसी परिपेक्ष्य में शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून और योजनाओं का निर्माण किया गया है। इन कानूनों और योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुँचा कर उन्हें विधिक रूप से साक्षर बनाने के लिये म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर और इसके अंतर्गत जिलों में कार्यरत जिला प्राधिकरणों/तहसील समितियों द्वारा व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाता है। महिला स्वतंत्रता सप्ताह में 08 मार्च का दिवस विशेष महत्व रखता है। इसे एक दिवस नहीं बल्कि आंदोलन के रूप में संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाया जाता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद द्वारा अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित विधिक साक्षरता शिविर।

नई किरण

म0प्र0रा0वि0से0 प्राधिकरण जबलपुर द्वारा खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से बाल गृह गोकलपुर, जबलपुर में मल्लखंब प्रशिक्षण आयोजन में मल्लखम्ब का प्रदर्शन करते हुये बाल गृह के बालक।

किसी प्रसिद्ध कवि ने कहा है कि ''घर से बहुत दूर है मंदिर का रास्ता, आओ किसी रोते हुये बच्चे को हंसाया जाये'' बच्चों के विषय में कहा गया यह कथन वास्तविकता में कार्य रूप में परिणित नहीं किया जाता है। हमें बड़ी संख्या में बच्चे कचरा बीनते, घरों में काम करते हुये या सिग्नल पर भीख मांगते हुये दिखते हैं। अपनी इस सुकुमार अवस्था के कारण वे कई तरह के शोषण के शिकार होते हैं। हम सब इस तरह के दृष्यों को अक्सर अपने आस पास घटते हुये देखते हैं और उसे अभिभावक या समाज की उपेक्षा और क्रूरता कह कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन हमारा यह नैतिक एवं विधिक दायित्व है कि हम इन उपेक्षित या विधि विवादित किशोरों के कल्याण हेतु कार्य करें। बालक देश का भविष्य और पूंजी हैं जिन्हें विकास के अवसर और सुविधायें उपलब्ध कराकर समाज की मुख्य धारा में शामिल करना न्याय एवं प्रशासन के साथ-साथ समाज का भी मुख्य उद्देश्य होना चाहिये।

संपूर्ण बहरूआ निर्णय में पारित निर्णयानुसार नालसा द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुये म.प्र. रावि0से0 प्राधिकरण जबलपुर द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2000 एवं नियम 2007 के उपबंधों के क्रियान्वयन की मानीटरिंग का कार्य किया जा रहा है। मॉनीटरिंग का यह कार्य राज्य प्राधिकरण द्वारा स्वयं तथा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सहयोग से प्रदेश भर में बालकों हेतु स्थापित समस्त गृहों में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में किशोर न्याय अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन हेतु स्थापित समिति द्वारा भी उपरोक्त गृहों का निरीक्षण किया जा रहा है। माननीय न्यायमूर्ति श्री रविशंकर झा, अध्यक्ष, किशोर न्याय अधिनियम निरीक्षण समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशों के परिपालन में बालगृह गोकलपुर, जबलपुर में बालकों के कल्याण हेतु कार्य करते हुये म0प्र0रा0वि0 सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा बालकों को मल्लखम्भ एवं शारीरिक सौष्ठव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पहल में म.प्र. शासन के पुलिस, शिक्षा, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग एवं अन्य विभागों से भी समन्वय एवं सहयोग लिया जा रहा है। म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा जबलपुर से प्रारंभ की गयी इस पहल को समस्त जिलों में भी जिला प्राधिकरणों एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से लागू किया जा रहा है।

कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक कुरीति ही नहीं
बल्कि एक अपराध भी है।

बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ

M.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

(C-2, South Civil Lines)

SCHEMES FOR LEGAL SERVICES TO DISASTER VICTIMS THROUGH LEGAL SERVICES:

PROGRESS:

Session	Core Group	Total Benefitted Persons
Jan to April 2015	47	0

Session	Total Benefitted Persons
Jan to April 2015	02

NLSA (LEGAL SERVICES TO MENTALLY ILL PERSON AND PERSONS WITH MENTAL DISABILITIES) SCHEME 2010: PROGRESS:

Session	Total Benefitted Persons
Jan to April 2015	02

ESTABLISHED LEGAL AID CLINIC IN JUVENILE JUSTICE BOARD : PROGRESS:

Session	Juvenile Justice Board (Legal aid Clinic)
Jan to April 2015	37

NALSA (LEGAL SERVICES TO THE WORKERS IN THE UNORGANIZED SECTOR) SCHEME 2010 PROGRESS:

Session	Resisted Unorganized worker in District	Benefitted persons under Govt. welfare plan	Total Camp	Benefitted persons under Camp	Benefitted Persons under Legal Advice/Aid
Jan to April 2015	26844	320987	29	981	2201

M.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, JABALPUR

Progress Report of Legal Literacy & Awareness Camps (Jan to April 2015)

Type of Camps	Total camps held on	Total no. of Persons Benefitted	No. of Persons Benefitted		Total Expenditure
			ST	SC	
Legal Literacy Camp	675	66297	6067	4462	24455
Micro Legal Literacy Camp	39	2516	235	756	0
MGNREGA Camp	9	335	20	30	0

"M.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, JABALPUR

"Mediation Report Month Jan-April 15"

S.No.	Month	Opening balance of month	no. of cases referred during	Total no. of cases the month	Successful stteled cases cases	unsuccessful stteled cases	total settled cases	total no. of pending
1	Jan	5,088	1,842	6,930	302	1,356	1,658	5,272
2	Feb	5,272	2,103	7,375	381	1,217	1,598	5,777
3	March	5,777	2,044	7,821	368	1,292	1,660	6,161
4	April	6,161	1,724	7,885	339	1,682	2,021	5,864

विधिक सहायता/विधिक सलाह

(जनवरी–अप्रैल 2015) जानकारी

विधिक सहायता स्वीकृत प्रकरणों की संख्या

माह	अनु0 जाति			अनु0 ज.जा.			पिछड़ा			सामान्य			योग			कुल व्यय
	पु0	म0	ब0	पु0	म0	ब0	पु0	म0	ब0	पु0	म0	ब0	पु0	म0	ब0	
जनवरी 15	141	27	23	116	5	26	234	30	65	226	72	77	717	134	191	669838
फरवरी 15	99	16	7	66	7	6	182	33	30	180	31	40	527	87	83	292302
मार्च 15	100	23	21	112	10	5	236	35	22	133	36	11	581	104	59	513538
अप्रैल 15	109	30	7	86	9	7	161	35	24	125	37	10	481	111	48	177411
कुलयोग	449	96	58	380	31	44	813	133	141	664	176	138	1825	325	333	1653089

विधिक सहायता स्वीकृत प्रकरणों की संख्या

माह	अनु0 जाति			अनु0 ज.जा.			पिछड़ा			सामान्य			योग		
	पु0	म0	ब0	पु0	म0	ब0	पु0	म0	ब0	पु0	म0	ब0	पु0	म0	ब0
जनवरी 15	11954	1157	160	2252	1785	250	2118	1514	245	2122	1193	248	8446	5649	903
फरवरी 15	9314	151	7	286	167	6	699	307	21	454	173	15	1753	798	49
मार्च 15	1372	113	21	301	94	12	718	346	50	587	224	27	1978	777	110
अप्रैल 15	1283	103	2	276	98	1	429	170	9	389	141	5	1377	512	17
कुलयोग	42923	1524	190	3115	2144	269	3964	2337	325	3552	1731	295	12177	7224	1062

लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों की जानकारी

क्र.	लोक अदालत का प्रकार	वर्ष 2015 (जनवरी 2015 से अप्रैल 2015)				
		लोक अदालत संख्या	प्रस्तुत प्रकरण	निराकृत प्रकरण	लाभांवित व्यक्ति	कुल मुआवजा /डिक्री अवार्ड राशि
1.	मासिक नेशनल लोक अदालत वर्ष 2015	3	686927	471212	706818	2151018032
2.	स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत	468	90,300	59,801	65,131	243774296
3.	लोकोपयोगी सेवाओं के अंतर्गत स्थाई लोक अदालत	86	2,037	169	338	--
4.	महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजनांतर्गत लोक अदालत	20	592	592	592	---
5.	जेल लोक अदालत	19	14	10	16	---
6.	प्ली–वारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत लोक अदालत	---	53	49	67	---
	योग	596	779923	531833	772962	2394792328